संख्या- 4/2017/ 604/ 71-आयुष-1-2017-620/2013

प्रेषक,

डा0 अनिता भटनागर जैन,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
यूननी सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आयुष अनुभाग-1 **लखनऊ, दिनांक 23 मार्च , 2017**

विषय- राजकीय तकमील उत्तिब कालेज एवं चिकित्सालय, लखनऊ के नीवन परिसर में 200 छात्राओं के लिए छात्रावास के निर्माण कार्य हेतु धनराशि रू0 100.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक-22 मार्च, 2016 एवं आपके पत्र संख्य 3473/यू0नि0/छात्र छात्रावास-328/2016-17 दिनांक- 17-11-2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रायोजना हेतु शासनादेश संख्या-1094/71- आयुष-1-2016-620/2013, दिनांक- 22-03-2016 द्वारा मूल्यांकित लागत धनराशि रू0 1036.78 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति तथा इसके सापेक्ष धनराशि रू0 107.24 लाख की वित्तीय स्वीकृति, निर्गत की गयी थी। चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-33 के अन्तर्गत प्रश्नगत प्रायोजना की मूल्यांकित लागत धनराशि रू0 1036.78 लाख के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि रू0 100.00 लाख की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1) प्रयोजना का निर्माण कार्य समय से पूर्ण कराया जायेगा।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि को बैंक/डाक घर/पी0एल0ए0 में नहीं रखा जायेगा।

(3) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(4) स्वीकृत धनराशि का उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा, जिस कार्य/मद हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

(5) आगणन की प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है। इसमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढाना, प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियां के इस्तेमाल आदि में कोई परिवर्तन, व्यय वित्त समिति के पूर्वानुमोदन के बिना नहीं किया जाना इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यो की लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर 03 माह के अन्दर समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

(6) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) नहीं की जायेगी। विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(7) कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था/प्रधानाचार्य की होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(8) विभाग यह सुनिश्चित करेगा की प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्त्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(9) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व विभाग का होगा।

(10) उक्त धनराशि के भुगतान/आवंटन के संबंध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22-03-2016 में उल्लिखित निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या- 33 के आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्ष- 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 01-शहरी स्वास्थ्य सेवायें, 800-अन्य व्यय, 05-आयुर्वेदिक कालेज तथा सम्बद्ध अस्पताल के मानक मद, 24- वृहद् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक-22 मार्च, 2016 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया

डा0 अनिता भटनागर जैन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-4/2017/604 (1)/71-आयुष-1-17, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
(4) वित्त नियंत्रक, यूनानी सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
(5) प्रधानाचार्य एवं अधीक्षक, राजकीय तकमील उतिब कालेज एवं चिकित्सालय, लखनऊ।
(6) निदेशक, सी0 एण्ड डी0 एस0 जल निगम उ0प्र0 लखनऊ।
(7) चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2/ वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त् (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

श्याम प्रकाश नारायण
अनु सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।